

The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं॰ 45]

मई बिल्ली, शनिवार, नवम्बर 9, 1974/ कार्तिक 18, 1896

No. 45]

NEW DELHI, SATURDAY, NOVEMBER 9, 1974/KARTIKA 18, 1896

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती हैं जिससे कि यह अक्षण संकलन के रूप में रखा जा सबे।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

भाग II--खण्ड 3--उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (1)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा विधि के धन्तर्गत बनाए और जारी किये गए साधारण नियम जिनमें साधारण प्रकार के आवेश, उपनियम ग्रावि सम्मिलित हैं।

General Statutory Rules (including orders, bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi, the 21st October, 1974

G.S.R. 1186.—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Foreigners Act, 1946 (31 of 1946), the Central Government hereby makes the following order further to amend the Foreigners (Protected Areas) Order, 1958 namely:—

- 1. This Order may be called the Foreigners (Protected Areas) Fourth Amendment Order, 1974.
 - 2. In the Foreigners (Protected Areas) Order, 1958,
 - (i) in paragraph 4, the words, figures and letter "or Schedule II-A, as the case may be," shall be omitted.
 - (ii) in Schedule I, for the paragraph relating to "Sikkim and Bhutan"—the following paragraph shall be substituted, namely:—
 - "Sikkim.—The Inner Line follows the southern border of Sikkim".
 - (iii) Schedule II-A shall be omitted.

[No. 25022/25/73-F.I.]

R. A. S. MANI, Dy. Secy.

नृह मैत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 26 धक्तुबर, 1974

सा०का० नि० 1187 — दिस्ली और अंडमान व निकोबार द्वीप-समृह् मिलिल सेवा नियम, 1971 के नियम 22 के साम पठित, इस सेवा के नियम 32 के अधीन, केन्द्रीय सरकार, दिस्ली और अंडमान व निकोबार द्वीप-समृह सिविल सेवा (परिवीक्षा, प्रशिक्षण और विभागीय परीक्षा) विनियम, 1972 में संशोधन करने के लिए एतव्हारा निम्नलिखित विनियम बनाती है, प्रयातु:---

- (1) ये विवियम दिल्ली भीर मंबमान व निकोबार द्वीप-समृष्ट् सिविल सेवा (परिबीक्षा, प्रशिक्षण भीर विभागीय परीक्षा) संशोधन विनियम, 1974 कहलायेंगे।
- (2) ये विनियम सरकारी राजपत्न में प्रकाशित होने की तारीक से लागू होंगे।
- 2. विल्ली भौर ग्रंडमान व निकोबार द्वीप-समूह मिविल सेवा (परि-नीक्षा, प्रणिक्षण भौर विभागीय परीक्षा) विनियम, 1972 के विनियम 4 के उप-विनियम (4) में,
 - (क) मद (i) भौर उससे संबंधित प्रविष्टिया हटा दी जार्सेनी भौर मद (ii) भौर (iii) कमशः मद (i) भौर (ii) के रूप में पुनः संख्यांकित कर दी जार्येगी ।

सूचना भीर प्रसारण महालय

नई दिल्ली 16 श्रक्षमूत्रर 1974

सा० का० नि० 1194.—सविधान के प्रमुच्छेद 300 वे पर मुक्त द्वारा प्रदक्त प्रधिकारो का प्रयाग करत हुए, राष्ट्रपति प्राकाशवाणी (श्रेणी-III पद) भर्ती नियमावली, 1964 मे प्रतिरिक्त संशोधन करने के निए एतद्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं प्रधीत्—

- (1) इन नियमों का प्राकाशवाणी (श्रणी-3 पद) सर्ती (इटा मशोधन) नियमावणी 1974 वहा जा सक्तमा ।
- (2) ये नियम संस्कारी राजपन्न में प्रकाणित होने की तारीख का प्रवृत्त होंगे ।
- 2 माकाणवाणी (श्रेणी-III पद) मर्ती नियमावली, 1964 की अन्मूची में, "फील्ड रिपार्टर' के पद में सर्वोधन क्रम राज्या 61 क्षे सम्मुख वालम 5 तथा 8 के भ्रम्तर्गत प्रविश्टिया के स्थान पर निम्नलिखिन प्रविश्विया प्रतिस्थापित की जायेगी, भ्रषांतु—

5 8 "100 प्रतिभान' सोधी भर्ती कं न हाने पर प्रतिनियुक्ति पर ।

[भरुषा 1/4/74-बी (ए)]

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING New Delhi the 16th October 1974

GSR 1194 In a crease of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution the President hereby males the following rules further to amend the All India Radio (Class III posts) Recruitment Rules, 1964, namely —

- 1 (1) These rules may be called the All India Radio (Class III posts) Recruitment (Sixth Amendment) Rules 1974
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette
- 2 In the Schedule to the All India Radio (Class III posts) Recruitment Rules, 1964, against serial No. 61 relating to the post of 'Field Reporter' in columns 5 and 8, for the the entries the following entries shall respectively be substituted, namely —

100 per cent"

. .

'Failing direct recruitment on deputation"

[F No 1/4/74-B(A)]

नई दित्ती, 19 धक्तूबर, 1974

सा॰ सा॰ नि॰ 1195.---सविधान के धनुन्छेद ३०० के उपबन्ध द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयाग करने हुए राष्ट्रपति धाकाशवाणी (श्रेणी-Iपद) भर्ती नियमावली, 1963 में धीतिरिक्त मशाधन सरने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते है धर्यात् ---

- 1 (1) इन नियमो का भाकाशवाणी (श्रेणी I पद) भर्ती (संशोधन) नियमावली, 1974 वहा जा सकता।
 - (2) ये नियम सरकारी राजपन्न में प्रकाशित होते की तारीख की प्रयुक्त होते।
- 2 श्रामाणवाणी (श्रेणी-Iपद) भर्ती नियमावली 1973 की श्रनुसूची में, उप विकास ग्रिधिकारी (प्रणासन) के पद में सञ्चन्धित त्रम सख्या 4 तथा इसमें सर्वन्धित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्निलिखन प्रतिस्थाणित किया जायेगा श्रंथीत —

				अ न् म्ची				
1		<u>. </u>	3	4	- _ <u>5</u>	6		
4 उप विष धिकार			। नेन्द्रीय मेवा राजपन्नित	900-50-1250 Fo	लाग्नही क्रोता	नागुनही होसा —	· मा -	गूनकी होता —
8			10 -		- 12			14
लागू नही होता	लागृनही होना	लागू नही होता		ा द्वारा या प्रतिनियुक्ति स्थ न्तरण झारा ्	तानात्तरण सन्द्रीय सरकार के ऋष् पर काम करने वाले में से। प्रतिनियुक्ति पर स्थाः केन्द्रीय सरकार के ऋष्ं पर जाम करन थाले 1250 रुपय के जेतन पर न्यूननम को क्षप के वाले या केन्द्रीय सचिव स्रमुनाग ऋष्टिकारी के पर न्यूननम 10 वर्ष के वाले ऋष्टिकारी, (प्रतिनियुक्ति की सर्वा ऋषिक नहीं हांगी)।	धीन समान पदा श्रिधिकः रिया नान्तरण तिन समान पदा र या 700- समान के पदा ति सेवा रखन बालय सेवा व - रक के पदा सामान्यत्रया	नागृनहीं होता	जैसा कि सघ लोक सेवा ग्रायाग (परामशं में छूट) विनियम, 1958 के ग्रधीन ग्रपेकित है ।

New Delhi, the 19th October, 1974

G.S.R. 1195.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the All India Radio (Class I posts) Recruitment Rules, 1963, namely:—

- 1. (1) These rules may be called the All India Radio (Class I Posts) Recruitment (Amendment) Rules, 1974.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.
- 2. In the Schedule to All India Radio (Class I Posts) Recruitment Rules, 1963, for serial No. 4 relating to the jost of "Deputy Development Officer (Administration) and the entries relating thereto, the following shall be substituted namely:—

 SCHEDIUE

	SCHEDULE											
"1	2	3	4	5		6	7		8			
4 Deputy Deve- lopment Officer		One	General Central Service Class I Gazetted	Rs. 900-50-1	250	Not applicable	Not app	licable	Not applicable			
	9	10	11			12		— <u>-</u>		<u> </u>		
Not applic	able	Not applica		or by transfer	Officers posts Gover Transfer Officer Gover gous 2 yea the so with a in the Sectio Centr Service	holding under the inment. on deputal under the inment hold posts or wirs service if alle of Rs. 7 titleast 10 yes posts of the in Officers alle of deputal in of deputal in of deputal in of exceptions.	tion; Central ling analo- th at least n posts in 00-1250 or ears service te rank of		plicable	As required uncer the Union Public Service Commission (Exemption from consultation) Regulations, 1958."		

[No. F. 1/2/72-B(A)] M.L. TANDON, Under Secy.

रेल महालय (रेलवे बोर्ड) तर्ज विल्ली, 14 ग्रगस्त, 1974

सा॰ का॰ कि॰ 1196.—रेलबं बोर्ड सिषवालय सेवा नियम, 1969 की अनुसूची के पैरा 2 के उप-पैरा (2) के उपबन्धों के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार का रेल मंत्रालय संघ लोक सेवा आयोग के परामर्ग से रेनवे बोर्ड सिववालय सेवा (अनुभाग प्रधिकारी ग्रेड विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा) विनियम, 1972, में आगे और संगोधन करने के लिए एन्इडाग निम्नलिखिन विनियम बनाता है, अर्थाल्:—

- सिंशप्त नाम मौर प्रारम्भ : (1) इन विनियमों को रेलवे बोर्ड मचिवालय सेत्रा (प्रतुभाग प्रधिकारी ग्रेड विभागीय प्रतियोगिना परीक्षा) (संशोधन) विनियम, 1974 कहा जा सकेगा ।
- (2) ये 18 जुलाई, 1972 से प्रवृक्त हुए समझे जायेंगे, जिस सारीख को कि रेलवे बोर्ड सर्चिवालय सेवा (प्रनुभाग प्रधिकारी ग्रेड विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा) विनियम, 1972 राजपत में प्रकाशित किये गर्थे हैं।
- 2 उदेशिका का संगोधन: रेलवे बोर्ड मनिवालय सेवा (म्रतुभाग मिक्कारी ग्रेप्ट विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा) विनियम, 1972 (जिन्हें

एतद्पश्चात् उक्न जिनियम के रूप में उल्लिखित किया गया है) की उद्देशिका में 'प्रनुसरण में' प्रौर ''केन्द्रीय सरकार'' सब्दों के बीच ''फ्रीर रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) की 7 मार्च 1970 की प्रधिसूचना स० ई० प्रार० बी० 1/69 प्रार प्रार 1/3 का प्रधिस्थन करने हुए'' वाक्यांण प्रतिबन्ध किया जाये।

- 3. विनियम 4 का संशोधन (I) उक्त विनियमों के बिनियम 4 के उप विनियम (1) (11) में "केन्द्रीय सरकार" शब्दों के बाद "जिसमें संघ शासिन क्षेत्र प्रणासन शामिल हैं" शब्दों को ग्रंतिकट किया जाये।
- (II) उप विनियम (3) में "इस निमिन्न केन्द्रीय सरकार के रैस महालय द्वारा समय-ममय पर श्रिक्षसूचिम की जाने वाल छुटो या रिया-यती या दोनों के प्रधीन रहने हुए" वाक्याण निकाल दिया आये ग्रीर 'व्वारा' भीर 'विहित' शब्दों के बीच "समय समय पर" गब्द ग्रंतिबिष्ट किये आये।

व्यक्तिसम्बद्धाः ज्ञापन

रेलवे बोर्ड मिनवालय मेवा नियम, 1969 धौर रेलवे बोर्ड सेचिवालय मेवा धनुभाग श्रीधकारी ग्रंड मीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा विनि-यम, 1970 में की गयी व्यवस्था के धनुमार रेलवे बोर्ड मिनवालय सेवा के अनुभाग श्रीधकारी ग्रेड के लिए सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) द्वारा श्रायोजित की आने वाली थी। संघ